

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 25/2021

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी—

रसूल खां पुत्र बाबू खां जाति  
मुसलमान निवासी सामेजा का पाडा,  
सिंहार, जिला बाड़मेर (मैसर्स आर के  
ट्रेडिंग क0, सेडवा, बाड़मेर का  
मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 06.04.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स आर के ट्रेडिंग क0, सेडवा, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **06.01.2021** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल ब्राण्ड एंकर (500 एमएल)** जो कि एक कार्टून में बोतलें भरी हुई पाई गई, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 बोतलें **सरसों का तेल ब्राण्ड एंकर (500 एमएल)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-1310** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल ब्राण्ड एंकर (500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर


खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल ब्राण्ड एंकर (500 एमएल) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जाने वाला खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के यथाविहित प्रावधानों के अन्तर्गत था तथा किसी भी दशा में मानव उपयोग हेतु प्राण घातक एवं असुरक्षित नहीं पाया गया है बल्कि मानक स्तर पर मिथ्याछाप होने की माइनर कमी पाई गई है। अप्रार्थी का यह प्रथम अपराध है जिसे लोक अदालत की भावना से स्वीकार कर क्षमा चाहता है तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जावेगी इसलिये अप्रार्थी के विरुद्ध नरम रूख अख्तियार करते हुये कम से कम जुर्माना अधिरोपित किया जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 18.01.2021 में उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं होना पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत किया गया है कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा के निर्धारित सम्पूर्ण मानकों पर गुणवत्तापूर्ण पाया गया है किन्तु पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियमों का ज्ञान नहीं था एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जावेगी। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते हुए नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया है। यद्यपि अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना असुरक्षित अथवा अवमानक नहीं पाया गया है किन्तु खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं



उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जुर्म स्वीकारोक्ति एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 5,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 06.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर